

# न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्रीमती अल्पा चौधरी, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं.48/2023

## प्रार्थीगण

1. श्री लालाराम पुत्र श्री कानाराम जाति सरगरा निवासी तेलपुर तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. श्री मदन कुमार पुत्र श्री कानाराम जाति सरगरा निवासी तेलपुर तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
3. श्री भीखाराम पुत्र श्री वजाजी जाति सरगरा निवासी तेलपुर तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
4. श्री भूताराम पुत्र श्री वजाजी जाति सरगरा निवासी तेलपुर तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

## बनाम

## अप्रार्थीगण

1. श्री सवाराम पुत्र श्री वजाजी जाति सरगरा निवासी तेलपुर तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. ग्राम पंचायत तेलपुर जरिए सरपंच ग्राम पंचायत तेलपुर तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।



पंचायत निगरानी प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

## उपस्थिति :-

1. श्री राजेन्द्रसिंह आढा, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।
2. श्री प्रमोद कुमार दवे, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या एक की ओर से।
3. श्री चन्दनसिंह डावी, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या दो की ओर से।

## निर्णय

दिनांक 10.01.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना-पत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत अप्रार्थी संख्या दो द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के हक में जारी पट्टा संख्या 001792 दिनांक 06.03.2002 क्षेत्रफल 4340 वर्गफुट को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या एक की ओर से अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे द्वारा जरिए वकालतनामा पेश कर उपस्थिति दी एवं जवाब प्रस्तुत किया, जो शामिल गिराल किया गया। अप्रार्थी संख्या दो की ओर से अधिवक्ता श्री चन्दनसिंह डावी ने जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी गई, परन्तु जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रकरण में दोनों पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढा ने दौरान बहस मेरा ध्यान प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि सरपंच ग्राम पंचायत तेलपुर द्वारा अप्रार्थी संख्या एक को नियमों के विपरित पट्टा संख्या 001792

जिला कलक्टर, सिरोही


दिनांक 06.03.2002 क्षेत्रफल 4340 वर्गफुट जारी किया गया है। यह कि उक्त वादग्रस्त पट्टे में वर्णित सम्पत्ति प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या एक के पूर्व रसाधिकारी श्री वजाजी की पैतृक सम्पत्ति थी एवं वे उक्त सम्पत्ति पर अपने परिवार सहित निवास करते थे। उस समय स्वर्गीय वजाजी ने उक्त भूखण्ड पर दो कच्चे मकान बनाये थे जो केलूपोश थे एवं उक्त शेष भूखण्ड पर गायों का बाड़ा बनाया हुआ था तथा वे उस पर बतौर मालिक अपने हक जताते व बताते काबिज थे। स्वर्गीय वजाजी की मृत्यु पश्चात् उनके सभी वारिसदार उक्त सम्पत्ति के स्वामी हैं तथा पक्षकारान 1/4-1/4 हक हिस्से अनुसार उक्त सम्पत्ति पर काबिज है। यह कि अप्रार्थी संख्या एक सवाराम पट्टा लिखा व्यक्ति है तथा उसके शेष तीनों भाई कानाराम भीखाराम व भूताराम अनपढ व्यक्ति है जो मजदूरी पेशा कर गाँव में ही अपना जीविकोपार्जन करते थे। अप्रार्थी संख्या एक आंगनवाडी में सेवारत था एवं वर्तमान में लिपिक के पद से सेवानिवृत्त हुआ है। यह कि सवाराम ने प्रार्थीगण को मुगालते में रखते हुए अप्रार्थी संख्या दो से मेलमिलाप कर सम्पूर्ण भूखण्ड का अपने नाम पट्टा बनवा लिया, जिसकी जानकारी श्री भूताराम को होने पर उसने पुलिस थाना पिण्डवाडा में इस संबंध में रिपोर्ट दी, तब अप्रार्थी संख्या एक सवाराम ने समाज व मौजिज व्यक्तियों के समक्ष यह लिखकर दिया कि उक्त भूखण्ड सभी भाईयों का संयुक्त आया हुआ है जिसका पट्टा मेरे नाम से बनाया है लेकिन उक्त प्लॉट में सभी भाईयों का समान हक अधिकार है तथा उक्त प्लॉट को चार हिस्से में विभाजित कर दूंगा। उक्त प्लॉट को विभाजित करने में जो भी खर्च होगा वो सभी के द्वारा समान रूप से वहन किया जावेगा एवं उक्त सम्पत्ति का अन्य भाईयों के नाम करवाने के लिए वह पाबंद एवं बाधित रहेगा। उक्त इकरारनामा अप्रार्थी संख्या एक ने दिनांक 17.09.2015 को रूबरू गवाहान प्रार्थी श्री भूताराम को लिखकर दिया। चूंकि सभी भाई अपने हक हिस्से अनुसार मौके पर काबिज थे एवं भाई ने लिखकर दिया जिस पर उस समय अन्य कोई कार्यवाही भूताराम ने नहीं की एवं वे उसी विश्वास में रहे कि इकरारनामा अनुसार अप्रार्थी संख्या एक पालना कर देगा। यह कि अप्रार्थी संख्या एक अपने नौकरी से सेवानिवृत्त हुआ एवं उसके पश्चात् पुनः उक्त सम्पत्ति पर मकान बनाने लगा तब प्रार्थी लालाराम ने आपत्ति प्रस्तुत की एवं सवाराम द्वारा नहीं मानने पर शेष तीनों भाईयों कानाराम भीखाराम व भूताराम ने श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय सिरौही को एक प्रार्थना पत्र लिखकर इस संबंध में शिकायत प्रस्तुत की जो परिवाद दर्ज कर उसकी जाँच विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा को सुपूर्द की, जिन्होंने जाँच कर उक्त सम्पत्ति को सभी भाईयो का समान हिस्सा माना तथा इस संबंध में अपने हक हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजोही का निर्देश दिया तब भी सवाराम ने पुनः आश्वासन दिया कि वह प्रार्थीगण के हक में सम्पत्ति का अंतरण करवा देगा लेकिन अप्रार्थी संख्या एक ने प्रार्थीगण के पक्ष में सम्पत्ति का हस्तांतरण नहीं किया एवं उक्त कुटरचित पट्टे की आड में प्रार्थीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के लिए सिविल न्यायालय पिण्डवाडा में एक दावा प्रस्तुत किया जो वाद संख्या 45/2021 पर दर्ज रजिस्टर होकर लम्बित है। यह कि उक्त वादग्रस्त पट्टे में वर्णित सम्पत्ति पक्षकारान के बीच आपस में बंटी हुई है एवं श्री भीखाराम के हक हिस्से की सम्पत्ति में उसके पुत्र बधू संतोष पत्नी कन्हैयालाल के नाम से इन्द्रा आवास के तहत राज्य सरकार द्वारा मकान का निर्माण करवाया है जिसमें वह परिवार सहित निवास कर रहे है। इसी प्रकार भूताराम व कानाराम के वारिसान भी अपने 1/4-1/4 हक हिस्से पर काबिज है एवं उसका उपयोग उपभोग कर रहे है। लेकिन अप्रार्थी संख्या एक उक्त कुटरचित पट्टे की आड में प्रार्थीगण के कब्जे में बाधा उत्पन्न कर रहा है एवं उन्हें गलत रूप से वाद प्रस्तुत कर हैरान परेशान कर रहा है, जिससे प्रार्थीगण को उक्त कुटरचित पट्टे को निरस्त करवाने के लिए यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण पैदा हुआ है। यह कि नियम 157-ख के तहत निर्मित मकान का पट्टा 4340 वर्गफुट का कदापि नहीं दिया जा सकता है लेकिन कानून को नजर अंदाज कर नियमों के परे जाकर अप्रार्थी संख्या दो ने यह पट्टा जारी करने में अनियमितता बरती है। अप्रार्थी संख्या दो ने उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व प्रार्थीगण से किसी प्रकार की जाँच व पुछताछ नहीं की है एवं पट्टा जारी करने से पूर्व पंचायत राज अधिनियम की किसी प्रकार से पालना नहीं की है एवं मात्र खानापूति कर उक्त पट्टा जारी करने में अनियमितता बरती है। गौका रिपोर्ट में मौका कमेटी में जो वार्ड



जिला कलेक्टर, सिरौही

पंच की ओर से मौका देखा गया है जिन्होंने रिपोर्ट में 60 वर्षों से कब्जा होने का कथन किया है, उस समय सवाराम की आयु मात्र 41 वर्ष थी जिससे भी यह पूर्णतया प्रमाणित है कि उक्त भूखण्ड पुश्तैनी श्री वजाजी के समय से कब्जे व उपयोग का था लेकिन उसके उपरांत भी उक्त पट्टा गलत रूप से जारी किया था जो निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि अप्रार्थी संख्या एक उक्त वादग्रस्त पट्टे के भूखण्ड पर केवल 600 वर्गफुट भूमि पर दो कमरे बनाकर मकान बना हुआ है जबकि वह उक्त कुटरचित पट्टे की आड में सम्पूर्ण सम्पत्ति को हडपना चाहता है। यह है कि उक्त वादग्रस्त पट्टे के भूखण्ड पर सम्पूर्ण भाग में मकान बना हुआ नहीं है तथा प्रार्थीगण के भी आवास बने हुये हैं, इसके उपरांत भी गलत रूप से उक्त पट्टा पडत भूमि को भी सम्पूर्ण आवास मकान बताकर अकेले अप्रार्थी संख्या एक के हक में जारी किया गया है जो अवैध है व पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है। यह है कि उक्त पट्टा जारी होने की जानकारी सर्वप्रथम प्रार्थी भूताराम को होने पर उसने आपत्ति की थी, जिस पर अप्रार्थी संख्या एक ने सभी भाईयों के पक्ष में दिनांक 17.09.2015 को एक लिखत लिखकर दिया था एवं सभी का उक्त सम्पत्ति में समान रूप से हक हिस्सा माना था जिस पर उस समय प्रार्थीगण ने कोई कार्यवाही नहीं की थी, लेकिन अब वर्ष 2021 में अप्रार्थी संख्या एक द्वारा सिविल न्यायालय में उक्त कुटरचित व गलत पट्टे की आड में प्रार्थीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया एवं उक्त कुटरचित पट्टे की आड में प्रार्थीगण के हक अधिकारों को चुनौती दी है जिससे अब प्रार्थीगण को भी उक्त कुटरचित पट्टा नियमानुसार निरस्त कराये बगैर अन्य विकल्प नहीं होने से यह निगरानी प्रार्थना पत्र बिना किसी देरी के प्रस्तुत किया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर ग्राम पंचायत तेलपुर द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के हक में जारी पट्टा संख्या 001792 दिनांक 06.03.2002 क्षेत्रफल 4340 वर्गफुट को निरस्त किया जाना फरमावे।

अप्रार्थी संख्या एक के लायक अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे द्वारा दौराने बहस गेरा ध्यान निगरानी में प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि पंचायत द्वारा प्रस्ताव लेकर अप्रार्थी संख्या एक को नियम 157(1) के तहत पुराने मकान का पट्टा जारी किया गया है जो नियमानुसार सही है। इस संबंध में उन्होंने दौराने बहस निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या दो द्वारा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियमों के तहत कार्यवाही कर ही पट्टा जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या-एक द्वारा इस संबंध में कोई अनियमितता पट्टा प्राप्त करते समय नहीं की गई है। यह है कि प्रार्थी ने गलत व बेबुनियाद कथनों पर आधारित यह निगरानी याचिका पेश की है जो खारिज योग्य है क्योंकि प्रार्थी ने वाद ग्रस्त सम्पत्ति को पैतृक सम्पत्ति होना बताया है जबकि प्रार्थी ने पैतृक सम्पत्ति का कोई सबूत पेश नहीं किया है। पक्षकारान पैतृक सम्पत्ति मकान में प्रार्थी भूताराम निवास कर रहा है, जबकि भूताराम व कानाराम का मकान अप्रार्थी संख्या एक के सामने बना हुआ है। भीकाराम व कानाराम ने भीलो से जमीन खरीदकर अपने मकान बनाये है। उन्होंने भी अपने नाम से पट्टे बनाये है। अप्रार्थी संख्या एक ने भी सन् 1989 में वीराराम पुत्र दानाराम भील से कीमत रूपये 22,000/- में खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था। जिसमें वीराराम का पुराना मकान बना हुआ था, उसके स्थान पर अप्रार्थी संख्या एक से नया मकान बनाया है, जिसका पट्टा नियमानुसार ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के द्वारा बनाया गया है। जबकि भूता राम ने पुश्तैनी मकान का पट्टा अपने स्वयं के नाम से बनाया है और जिसके पट्टे हेतु दिये शपथ पत्र में भी पुश्तैनी मकान का पट्टा बनाने वाबत लिखा है। यह कि मौके पर 56.6 फीट गुणा 60 फीट पर अप्रार्थी संख्या एक का मकान बना हुआ है और अप्रार्थी संख्या एक का ही कब्जा है। उक्त तथ्य विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा के जांच में आया हुआ है साथ ही अप्रार्थी संख्या एक के मकान का नवीन निर्माण चल रहा है जिसे प्रार्थीगण गलत कथनों पर तथा बेबुनियादी व झूठे कथनों पर रुकवाना चाहते हैं, जिस हेतु अप्रार्थी संख्या एक ने सिविल न्यायालय पिण्डवाडा के रागक्ष वाद पेश किया है जिसमें सिविल न्यायालय द्वारा वाद सुनवाई अप्रार्थी संख्या एक के पक्ष में स्थगन जारी कर प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या एक के निर्माण में दखलन्दाजी नहीं करने हेतु निर्देश दिये है। प्रार्थीगण का कोई पुश्तैनी आवास नहीं है और ना ही कोई प्रार्थीगण का कब्जा है। यह कि प्रार्थीगण द्वारा



जिला कलेक्टर, सिरसी

दिनांक 17.09.2015 का जो लिखित बताया गया है वह फर्जी व फूट रचित है अप्रार्थी संख्या एक ने ऐसा कोई लिखित दिनांक 17.09.2015 को नहीं लिखा है। फौजदारी मुकदमे में सामाजिक दबाव के चलते एक कोरा स्टाम्प अप्रार्थी संख्या एक से मंगवाया गया था, जिस पर अप्रार्थी संख्या एक के फर्जी व कूट रचित हस्ताक्षर कर उपरोक्त लिखित लिखा है। प्रार्थीगण के पक्ष में यदि ऐसा लिखित लिखा हुआ है तो मूल लिखित श्रीमान न्यायालय में प्रस्तुत करवाया जावे, जिससे कि अप्रार्थी संख्या एक प्रार्थीगण के विरुद्ध कूट रचित दस्तावेज बाबत मुकदमा दर्ज करवा सके, परन्तु प्रार्थीगण द्वारा ना तो सिविल न्यायालय में ओरिजनल मूल लिखित प्रस्तुत किया है और ना ही श्रीमान न्यायालय में ओरिजनल मूल लिखित प्रस्तुत कर रहे हैं और फर्जी और कूट रचित दस्तावेज की फोटो कॉपी के आधार पर प्रार्थीगण अप्रार्थी का पट्टा निरस्त करवाना चाहते हैं, जिसका उन्हें कोई हक अधिकार नहीं है। यह कि विकास अधिकारी पंचायत समिति द्वारा दिनांक 16.10.2020 को प्रार्थी भुताराम द्वारा कि गई शिकायत कि जांच में मौके पर अप्रार्थी संख्या एक का मकान होना व पुश्तैनी मकान होने का कोई सबूत नहीं होना आया है। विकास अधिकारी पंचायत समिति के द्वारा जांच करने के पश्चात प्रार्थीगण ने सहायक विकास अधिकारी से दुबारा रिपोर्ट प्राप्त कि है जिसमें भी दोनों के बयान दर्ज कर व रिपोर्ट का हवाला देकर सवाराम के भाईयों को सक्षम स्तर पर उत्तराधिकार प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेज प्राप्त करने हेतु लिखा है। यह है कि एक बार कोई अधिकारी जांच कर लेता है तो दुबारा जांच उससे कोई उच्च अधिकारी के द्वारा ही की जा सकती है और दुबारा जांच करवाने कि क्या आवश्यकता रही और क्यों करवाई गई इसका कारण प्रार्थीगण के पास नहीं है। यह कि वीराराम पुत्र दानाजी भील निवासी तेलपुर की मृत्यु हो चुकी है एवं उनके पुत्र खेताराम के द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र को मय हर्जे खर्च के खारिज किया जाना फरमावे।

अप्रार्थी संख्या दो की ओर से अधिवक्ता श्री चन्दनसिंह डाबी द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि ग्राम पंचायत तेलपुर द्वारा प्रस्ताव लेकर अप्रार्थी संख्या एक को नियम 157(1) के तहत पुराने मकान का पट्टा जारी किया गया है जो नियमानुसार सही है। इस संबंध में उन्होंने दौराने बहस निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियमों के तहत कार्यवाही कर ही पट्टा जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या एक द्वारा इस संबंध में कोई अनियमितता पट्टा जारी करते समय नहीं की गई है और पट्टा जारी करने में राजस्थान पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर के दिशा निर्देशों की पालना की गई है। अनियमितता करने के कथन सर्वथा गलत है। अतः श्रीमाने से निवेदन है कि प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना फरमावे।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र एवं अप्रार्थी संख्या एक की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं पत्रावली का भलिभाँति नियमों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष निम्न प्रकार है :-

अप्रार्थी संख्या एक को उक्त पट्टा ग्राम पंचायत, तेलपुर द्वारा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत पट्टा संख्या 001792 दिनांक 06.03.2002 क्षेत्रफल 4340 वर्गफुट जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज. सामान्य नियम 1996 के नियम 157(1) के अनुसार--

157.-पुराने गृहों का विनियमितकरण-- जहाँ व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते हैं और पट्टा जारी कराने के इच्छुक वहाँ उन्हें निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात् प्ररूप 23 क में पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा--

1. 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिए या 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अध्यक्षीन रहते हुए 25 प्रतिशत सानिगित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए सानिगित क्षेत्रफल:

जिला कलेक्टर, तिरोही

क. इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व, पचास वर्षों से अधिक पूर्व में = 100 रूपये संनिर्मित पुराने गृहों के लिए।  
ख. (31 दिसम्बर 2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षों के दौरान) = 200 रूपये सनिर्मित पुराने गृहों के लिए।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि सरपंच ग्राम पंचायत तेलपुर द्वारा उक्त विवादित पट्टा संख्या 001792 दिनांक 06.03.2002 क्षेत्रफल 4340 वर्गफुट अप्रार्थी संख्या एक के हक में राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी किया गया है और राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत अधिकतम 300 वर्गगज यानि 2700 वर्गफुट तक ही पट्टा जारी किया जा सकता है, परन्तु ग्राम पंचायत तेलपुर द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के हक में उपरोक्त वादग्रस्त पट्टा कुल 4340 वर्गफुट का जारी किया गया है, जो ग्राम पंचायत तेलपुर द्वारा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(1) का स्पष्ट उल्लंघन किया जाना पाया जाता है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा मुख्यतः तर्क किया गया है कि उक्त वादग्रस्त पट्टे की भूमि पुश्तैनी भूमि है, जिस पर अप्रार्थी संख्या एक एवं प्रार्थीगण का संयुक्त कब्जा रहा है। इसके विपरीत अप्रार्थी संख्या एक के अधिवक्ता का तर्क है कि उक्त वादग्रस्त पट्टे की भूमि पुश्तैनी नहीं होकर अप्रार्थी संख्या एक द्वारा श्री वीराराम से खरीद की गई है एवं उक्त सम्पत्ति से प्रार्थीगण का किसी भी प्रकार से कोई लेना देना नहीं है एवं प्रार्थी का उक्त सम्पत्ति पर कभी भी संयुक्त रूप से कब्जा नहीं रहा है। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि न्यायालय सिविल न्यायाधीश पिण्डवाडा द्वारा वाद संख्या 30/2021 अनवान सवाराम बनाम भूताराम व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 27.07.2023 में भी उक्त वादग्रस्त भूखण्ड को पुश्तैनी भूखण्ड नहीं माना है। इसके अलावा श्री देवाराम गर्ग सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा द्वारा किए गए जांच प्रतिवेदन में भी यह स्पष्ट किया गया है कि उक्त वादग्रस्त पट्टे के भूखण्ड को प्रार्थीगण अपना पैतृक स्वागित्व का भूखण्ड साबित करने में असफल रहे हैं। जहां तक उक्त वादग्रस्त पट्टे की भूमि का पैतृक होने का प्रश्न है तो पत्रावली पर उपलब्ध पट्टा संख्या 893 दिनांक 01.02.2013 क्षेत्रफल 510.25 वर्गफुट, जो कि ग्राम पंचायत तेलपुर द्वारा प्रार्थी संख्या चार श्री भूताराम पुत्र श्री वजाजी के नाम से जारी किया गया है, उक्त पट्टे को प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत शपथ पत्र में श्री भूताराम द्वारा पुश्तैनी रहवासी मकान का भी उल्लेख किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अप्रार्थी संख्या एक ने सभी भाईयों के पक्ष में दिनांक 17.09.2015 को एक लिखित लिखकर दिया था, जिसमें सभी भाईयों का उक्त सम्पत्ति में समान रूप से हक किस्सा माना था, जिसके सम्बन्ध में अप्रार्थी संख्या एक के अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया है कि प्रार्थीगण द्वारा फौजदारी मुकदमे में सामाजिक दबाव के चलते एक खाली स्टाम्प अप्रार्थी संख्या एक से मंगवाया गया था, जिस पर अप्रार्थी संख्या एक के फर्जी व कूट रचित हस्ताक्षर कर उपरोक्त लिखित लिखा है। चूंकि उक्त खाली स्टाम्प पर प्रार्थीगण के द्वारा फर्जी व कूट रचित हस्ताक्षर किए गए हैं, तो इसके लिए अप्रार्थी संख्या एक के द्वारा प्रार्थीगण के विरुद्ध फर्जी व कूट रचित हस्ताक्षर किए जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया जाना चाहिए था, परन्तु अप्रार्थी संख्या एक के द्वारा प्रार्थीगण के विरुद्ध फर्जी व कूट रचित हस्ताक्षर किए जाने के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही की गई हो, ऐसा किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है और न ही इस सम्बन्ध में अप्रार्थी संख्या एक के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई कथन किया गया है। अप्रार्थी संख्या एक के अधिवक्ता का यह कथन सही है कि दिनांक 17.09.2015 को लिखे गए इकरारनामा के मूल प्रति प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है, परन्तु इस आधार पर उक्त इकरारनामा को वैध व अवैध नहीं माना जा सकता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त वादग्रस्त पट्टे से सम्बन्धित भूमि को अप्रार्थी संख्या एक के द्वारा श्री वीराराम से खरीद किया जाना बताया है और



जिला कलेक्टर, सिरसी

उक्त भूखण्ड को श्री वीराराम से खरीद किए जाने का रजिस्ट्रीशुदा दस्तावेज नहीं होकर तीन रूपए के स्टाम्प पर केवल इकरारनामा किया हुआ है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत तेलपुर द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के हक में जारी पट्टा संख्या 001792 दिनांक 06.03.2002 क्षेत्रफल 4340 वर्गफुट को निरस्त किया जाता है। साथ ही सरपंच ग्राम पंचायत तेलपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त भूखण्ड की मौके पर कब्जे व मालिकी स्वामित्व की जांच कर एवं राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार जांच कर नए सिरे से पट्टा जारी करें।

निर्णय आज दिनांक 10.01.2025 को खुले न्यायालय में डिक्टेट कराया जाकर सारे इजलास सुनाया गया।



*(Handwritten Signature)*  
(अल्पा चौधरी)  
जिला कलक्टर, सिरोही